



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 791) पटना बृहस्पतिवार 16 जुलाई 2026

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

2 जून 2026

सं० वि.प.स्था.-186/2023(खण्ड)(नी.वि.)-1617(2)/वि.प.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी निदेशक सह कार्यकारी सचिव, जो सेवानिवृत्ति के समय अपने मूल रूप से धारित पद उप सचिव (वेतन स्तर-12) का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे को दिनांक-11.04.2019 से दिनांक-13.10.2023 के बीच अर्हता प्राप्त (संयुक्त कालावधि सहित) उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2022 को उपलब्ध रिक्रि के अनुसार अनुमान्य निदेशक (वेतन स्तर-13) के पद का वेतनमान वैचारिक रूप से प्रदान किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के आधार पर श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी निदेशक सह कार्यकारी सचिव को निदेशक (वेतन स्तर-13) के पद का वेतनमान का मात्र पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए दिनांक- 04.10.2025 (अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से) को पेंशन का भुगतान अनुमान्य किया जाता है।

इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर प्रदत्त प्रभार आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर की राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 एवं ज्ञापांक- 636, दिनांक- 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
नवीन कुमार मिश्र,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 791-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>